

3/7/17

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्वेंशन कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक को पेश हो

जीजीअप

7/9/17

7/9/17

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्वेंशन कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक को पेश हो।

23/11/17

23/11/17

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी श्री ध्रुवधर शर्मा उपस्थित। वकील वादी को प्रतिवादी की मलकी हेतु मलवाना जोरिस पेश करने हेतु दिनांक 15/12/2015 से 23/11/17 तक शिथिल अवसर मिले गये। वकील वादी द्वारा न्यायालय के आवेदन की पालना में मलवाना जोरिस पेश नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी वाद को आगे चलाने के इच्छुक नहीं हैं। वकील वादी के औखियक गार पर निवेदन किया भी पार्टी से सम्पर्क नहीं है। इस कारण जोरिस पेश नहीं किया जा रहा है।

न्यायालय के आवेदन दिनांक 7/4/2015 की पालना नहीं करने से यह प्रार्थना कि आवेदन प्रथम 5 सी.पी.सी में खारिज किया जाय।

(अभि) (अभि)

उप खण्ड अधिकारी  
बस्सी जिला जयपुर

जयपुर

2

3